तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4293/2005/जोधपुर श्रीमती गोपी देवी बनाम श्रीमती अणची	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

आदेश

दिनांक 05.05.2022

प्रार्थी निगराकार अधिवक्ता श्री विरेन्द्रसिंह उपस्थित। गैर निगराकार अधिवक्ता श्री गौरव दवे उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र दिनांक 21–09–2007 एवं इन्हीं तथ्यों का दूसरा प्रार्थनापत्र दिनांक 21–1–2013 पर सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार प्रार्थी का तर्क है कि निगरानी धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गयी है लेकिन मूल वाद ही दिनांक 27–11–2006 को खारिज हो गया है, इसलिए यह निगरानी स्वतः ही निष्प्रभावी हो गयी है।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार अप्रार्थी का तर्क है कि उक्त वाद अदम हाजरी में खारिज हुआ है और जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थनापत्र बाजदायरी पेश कर दिया है जिसमें दिनांक 2–2–2007 को ही नोटिस जारी हो गये है। अतः यदि यह मूल वाद पुनः नम्बर पर लिया जाता है तो निगराकार को पुनः निगरानी को नम्बर पर लेने की कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता दी जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निगराकार द्वारा यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 24–8–2005 के विरूद्ध पेश की गयी है और उक्त राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय सहायक कलक्टर, जोधपुर के निर्णय दिनांक 13–6–2005 के विरूद्ध पेश की गयी अपील में किया है। अर्थात् चुनौतीग्रस्त आदेश मूल वाद के साथ पेश प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सम्बन्ध में है और जिसे निगरानी के रूप में चुनौती दी हुई है। गैर निगराकार ने मूल वाद की आदेशिका दिनांक 27–11–2006 की प्रमाणित प्रति पेश की है और जिसमें वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है और निगराकार अप्रार्थी की ओर से भी उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु बाजदायरी प्रार्थनापत्र पेश कर रखा है और इसकी आदेशिका दिनांक 2–2–2007 द्वारा नोटिस जारी हुए है और अभिलेख पर निगराकार की ओर से अन्तिम आदेशिका दिनांक 5–2–2013 की पेश की है जिसमें भी उक्त बाजदायरी तलबी में ही है। यानि कि आज दिनांक तक मूल वाद पुनः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./4293/2005/जोधपुर श्रीमती गोपी देवी बनाम श्रीमती अणची	नम्बर व तारीख
	नम्बर पर दर्ज नहीं हुआ है और जब मूल वाद ही आज के दिन में अस्तित्व में नहीं है तो उक्त निगरानी याचिका सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निगराकार कानूनी प्रावधानों के तहत पुनः यह निगरानी नम्बर पर लेने की कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख अविलम्ब भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	